प्रेस विज्ञप्ति
बिहार पुलिस मुख्यालय,
दिनांक–03.10.2023 (सं0–424)

IIT, Patna में National Commission for Women, New Delhi के द्वारा प्रायोजित सेमिनार में बिहार पुलिस मुख्यालय का प्रतिनिधित्व

National Commission for Women, New Delhi के द्वारा प्रायोजित Working, Efficiency and Effectiveness of Women Police Personal in Bihar विषय पर IIT, Patna में आयोजित दो दिवसीय सेमिनार में दिनांक 03.10.2023 को सेमिनार के प्रथम दिवस पर बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से श्री जितेन्द्र सिंह गंगवार, अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) के द्वारा भाग लिया गया एवं अतिथि वक्तव्य दिया गया।

- अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) के द्वारा अपने उदबोधन में राज्य में कामकाजी महिला पुलिसकर्मियों की स्थिति स्पष्ट करते हुये कहा गया कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं में 35 प्रतिशत महिलाओं को नियुक्त किया जा रहा है। बिहार पुलिस में वर्ष 2013 से लगातार महिलाओं को आरक्षण की सुविधा दी गयी है फलस्वरूप महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुयी है। दिनांक 01.01.2005 को बिहार पुलिस में 893 महिला पुलिसकर्मी थीं, दिनांक 01.01.2013 तक यह संख्या 2340 (3.4 प्रतिशत), दिनांक 01.01.2022 को 20,000 (21 प्रतिशत) तथा दिनांक 01.01.2023 तक विभिन्न पंक्तियों अर्थात सिपाही से Dy.SP तक महिलाओं की संख्या बढ़कर 24,247 है। इसमें भारतीय पुलिस सेवा की 23 महिला पदाधिकारी सम्मलित है। गर्व का विषय है कि प्रतिशत संख्या में बिहार पूरे राष्ट्र में अग्रणी है।

पुलिस विभाग में महिलाओं की सक्रियता बढ़ाने, उनकी नयी भूमिका तय करने तथा नयी सम्भावनाओं के लिए पुलिस विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है जो मुख्यतः निम्नलिखित हैः–

1. पुलिस की महत्वपूर्ण ड्यूटीज में नेतृत्व भूमिका निर्वहन हेतु महिला स्वाभिमान बटालियन (अनुसूचित जनजाति की थारू महिलाएँ), बाल्मीकि नगर, बगहा एवं महिला बटालियन, सासाराम का गठन किया गया है।
2. राज्य में प्रत्येक जिले में स्थापित 40 महिला थानों में महिला पदाधिकारियों को प्रभारी के रूप में प्रतिनियुक्ति किया गया है। यह व्यवस्था दिनांक 01.12.2011 से है।
3. राज्य की पीड़ित महिलाओं की थानों तक सुलभ पहुँच हेतु प्रथम सम्पर्क बिन्दु के रूप में थानों में महिला डेस्क की स्थापना की गयी है जो 24X7 कार्यरत है। अभी तक 850 महिला डेस्क में लगभग 500 महिला पुलिस पदाधिकारी एवं लगभग 2,000 महिला पुलिसकर्मी प्रतिनियुक्त हैं। उनके द्वारा बताया गया कि इन 850 थानों में अभी तक लगभग 20,000 महिलाओं के द्वारा अपनी समस्याओं को रखा गया जिसमें लगभग 5,000 से अधिक प्राथमिकी अंकित कर अनुसंधान किया जा रहा है तथा अन्य मामलों को सम्बन्धित विभागों को अग्रसारित किया गया है।
4. डायल 112, साइबर यूनिट तथा सोशल मीडिया सेण्टर में कार्य करने हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी गयी है। डायल 112 के राज्य स्तरीय कॉल सेण्टर जो कि 24X7 कार्यरत है में 100 प्रतिशत महिलाओं को स्थान दिया गया है।

5. थानों में 20 प्रतिशत अपर थानाध्यक्ष का कार्यभार महिलाओं को सौंपा गया है ताकि वें भविष्य के थानाध्यक्ष नेतृत्व के लिए तैयार हो सकें।
6. ए0टी0एस0, एस0टी0एफ0 तथा विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु भी महिला पुलिसकर्मियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित कर तैनात किया गया है, जो पारम्परिक रूप से पुरुषों के कार्य थें।
7. पटना में यातयात प्रबन्धन में भी महिलाओं को प्राथमिकता देते हुये 75 प्रतिशत पुलिस निरीक्षक तथा 40 प्रतिशत सिपाही के पदों पर महिलाओं का पदस्थापन किया गया है।
8. महिलाओं को हर प्रकार की भूमिका एवं कार्य सौंपे जा रहे हैं तथा किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है।
9. महिला पुलिस फोर्स के जरूरत के अनुसार उनको सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही है। स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत पारिवारिक तथा विभागीय आवश्यकताओं के सन्तुलन को दृष्टिगत रखते हुये विभाग में कार्यरत पति पत्नी को एक हीं कार्यक्षेत्र में पदस्थापित करने एवं अन्य सुविधाओं के लिए नयी स्थानान्तरण नीति प्रक्रियाधीन है।
10. महिला पुलिसकर्मियों के लिए आवश्यक संसाधन लगातार बढ़ाये जा रहे हैं। महिला सिपाहियों के आवासन हेतु 7 स्थानों पर Single Room Cum Barrack, 5131 यूनिट बैरक, 107 थानों में महिला सिपाहियों के लिए 5 Seated शौचालय सह स्नानागार, 51 पुलिस लाइन/BSAP में महिला सिपाहियों के लिए 20 Seated शौचालय सह स्नानागार, 566 स्थानों पर महिला पुलिसकर्मियों के लिए 02 Seated शौचालय सह स्नानागार, 90 थानों में 02 Seated शौचालय सह स्नानागार तथा 28 जिलों में महिला पुलिस थानों का निर्माण किया गया है। उन्होनें बताया कि महिला पुलिसकर्मियों के लिए 6128 यूनिट बैरक तथा 08 जिलों में महिला पुलिस थानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। सभी थानों/ओ0पी0 के नवनिर्मित भवनों में महिला पुलिसकर्मियों हेतु अलग से शौचालय सह स्नानागार, बैरक एवं Creches Room (पालना घर) का प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त

- कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों के निष्पादन हेतु राज्य में 59 स्थलों पर आन्तरिक समिति का गठन किया गया है।
- घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सुविधा हेतु पुलिस मुख्यालम में महिला परामर्श केन्द्र है।
- उन्होने बताया कि बिहार पुलिस में काम करने वाली महिलाओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। सभी नए थानों में नई डिजाइन स्वीकृत कर महिलाओं के लिए बैरक, शौचालय, पालना घर इत्यादि का निर्माण कराया गया है।
- मातृत्व अवकाश का प्रावधान है। यही नहीं बच्चों के पालन पोषण तथा शिक्षा दीक्षा हेतु 02 वर्षों का चाइल्ड केयर अवकाश का प्रावधान है।
- उन्होने कहा कि बिहार पुलिस में पूरी संवेदनशीलता के साथ महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा तथा उनकी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है।
- महिला पुलिसकर्मी पुरुष पुलिसकर्मियों के समकक्ष नेतृत्व करते हुये विधि व्यवस्था तथा अपराध नियंत्रण के महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं।

इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की पूर्व पुलिस महानिदेशक श्रीमती सुतपा सान्याल, श्री टी0एन0 सिंह, निदेशक, आइ0आइ0टी0, पटना, श्रीमती श्रुति नारायण, वरीष्ठ मनोचिकित्सक, प्रो0 बी0 विश्वाास, डीन ई0एस0आ0सी0 मेडिकल कॉलेज सहित कई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व उपस्थित रहें।

XXXXXX